



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56741

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 8369 वर्ष 2026

अंकित यादव @ मनीष यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	: मनीष कुमार सिंह, श्याम मोहन सिंह
प्रतिपक्षी के अधिवक्ता	: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री श्याम मोहन सिंह तथा राज्य की ओर से उपस्थित श्री राकेश कुमार मिश्र, ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 202 वर्ष 2025, धारा 309(4), 352, 351(3), 317(2), 117(2) बी.एन.एस., थाना गौरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं था, जिसमें प्रथम सूचना दाता के बैग की लूट का आरोप है, जिसमें रुपये 1,80,000/- तथा एक ए.टी.एम. कार्ड होना बताया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि 45 दिन पश्चात आवेदक से

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मात्र 3,000/- रुपये की बरामदगी के आधार पर उसे मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक ने अपने विरुद्ध दर्शाए गए छह आपराधिक वादों का समुचित स्पष्टीकरण साथ संलग्न शपथपत्र में प्रस्तुत किया है। यह भी कहा गया है कि वर्तमान प्रकरण में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक विधि का पालन करने वाला नागरिक है तथा दिनांक 27.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से प्रस्तुत ए.जी.ए. द्वारा जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध किया गया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं किया जा सका।

5. प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, विचारण न्यायालयों में आपराधिक वादों की अधिक लंबितता एवं कारागारों में भीड़-भाड़ को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि, **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038)** में निहित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

6. तदनुसार, आदेशित किया जाता है कि आवेदक **अंकित यादव @ मनीष यादव** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में, व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए

:-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करे।
- (ii) आवेदक विचारण/अन्वेषण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा तथा किसी प्रकार का अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा।
- (iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध नहीं करेगा।
- (iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. संबंधित न्यायालय द्वारा बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास का सत्यापन किया जाएगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कम्प्यूटर जनित प्रति, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित हो, के आधार पर रिहा किया जाएगा, इस उपबंध के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु, जमानत आदेश को बेल आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नीति एवं रणनीति विषयक जमानत अनुदान प्रकरण, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, दिनांक 31.01.2023, प्रतिवेदित (2024) 10 एस.सी.सी. 685 के अनुपालन में, संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को प्रेषित की जाए।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

दिनांक : 19 मार्च, 2026

एस.सी.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”